भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 37
(जिसका उत्तर मंगलवार, 24 फरवरी, 2015 को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत सरकारी योजनाएं

37. डा. प्रदीप कुमार बालमुचू :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कोई दिशा-निर्देश विद्यमान हैं कि कोई कंपनी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी क्रियाकलापों के अंतर्गत किन्हीं सरकारी योजनाओं अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान आदि के कार्यों (जैसे स्कूलों का निर्माण करना) को शुरू कर सकती है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के आबंटन का बड़ा हिस्सा वास्तविक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अपेक्षा ऊपरी व्यय पर खर्च होता है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) और (ख) : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में कंपनियों द्वारा उनके कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के कार्यान्वयन के लिए व्यय करने योग्य कार्यकलापों की सूची दी गई है जिसमें विद्यालयों के भवन बनाना आदि भी शामिल है।

(ग) और (घ) : चूंकि यह कारपोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यान्वयन का पहला वर्ष है अत: कंपनियों द्वारा संबंधित फाइलिंग वर्ष 2015 के अंत तक ही उपलब्ध होगी। इस समय वास्तविक कार्यान्वयन के बारे में अनुमान लगाना समयपूर्व होगा।

*****